कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर

दूरभाष – 07582–224543 फैक्स 07582–224543
E-Mail : deosaugour@gmail.com

क्रमांक / 2563 / निर्वाचन / चु0पर्य0 / 2019 सागर, दिनांक: 26 दिसम्बर, 2019

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला निर्वाचन कार्यालय(सामान्य) सागर में पूर्व की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, नामावली कार्य से संबंधित दस्तावेज, निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त कागज व लिफाफे, कार्यालयीन चुनाव संबंधी अनुपयोगी पुस्तके एवं रद्दी कागज की श्रेडिंग (टुकड़े–टुकड़े) कर विक्रय किया जाना है। निविदा प्रपत्र (अ)व (ब) एवं निविदा की सामान्य शर्ते इस कार्यालय से 500/– रूपये नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

अतः रद्दी कागज के व्यापारियों, हाथ के कागज की वस्तु बनाने वाले करीगरों, कागज मिलों के अधिकृत प्रतिनिधियों से निविदा की शर्तो के अधीन दिनांक 20-01-20 को अपरान्ह 02:00 बजे तक सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदायें उसी दिन अपरान्ह में 03:00 बजे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकार स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर का रहेगा।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
सागर म0प्र0

पृ.क्रमांक / 2563 / निर्वाचन / चु0पर्य0 / 2019 सागर, दिनांक: 26 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसम्पर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर सर्व .... की ओर सूचना पटल में चस्पा हेतु सूचनार्थ।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. डीआईओ, एनआईसी सागर की ओर उक्त निविदा सूचना की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
सागर म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर

दूरभाष – 07582–224543 फैक्स 07582–224543
E-Mail : deosaugour@gmail.com

क्रमांक / 2563 / निर्वाचन / चु0पर्य0 / 2019 सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

निविदा की शर्तें

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला निर्वाचन कार्यालय(सामान्य) सागर में पूर्व की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, नामावली कार्य से संबंधित दस्तावेज, निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त कागज व लिफाफे, कार्यालयीन चुनाव संबंधी अनुपयोगी पुस्तके एवं रद्दी कागज की श्रेडिंग (टुकड़े–टुकड़े) कर विक्रय किया जाना है। निम्नानुसार दरें आमंत्रित की जाती है :–

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	अन्य विवरण
01	सफेद कागज	प्रति क्विंटल		छोटे टुकड़े करके
02	रंगीन कागज	प्रति क्विंटल		छोटे टुकड़े करके
03	खाकी कागज	प्रति क्विंटल		छोटे टुकड़े करके
04	कार्ड बोर्ड (पुठ्ठा)	प्रति क्विंटल		छोटे टुकड़े करके

अतः रद्दी कागज के व्यापारियों, हाथ के कागज की वस्तु बनाने वाले करीगरों, कागज मिलों के अधिकृत प्रतिनिधियों से निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 20-01-20 को अपरान्ह 02:00 बजे तक सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदायें उसी दिन अपरान्ह में 03:00 -बजे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकार स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर का रहेगा। निविदा की शर्ते निम्नानुसार है :–

–: निविदा की सामान्य शर्तें :–

1. निविदा सील बंद लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "रद्दी कागज के लिये निविदा" लिखा जाना आवश्यक है।
2. निविदा निर्धारित तिथि नियत समय के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
3. निविदा के साथ 5000/– प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को देय हो, जमा की जावेगी। प्रतिभूति राशि जमा होने पर ही निविदा पर विचार किया जावेगा।
4. निर्धारित तिथि व समय अवधि के पश्चात् कोई निविदा प्राप्त नहीं की जावेगी।
5. निविदा दर स्वीकृत होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि रहेगी।
6. निविदाकार द्वारा सफेद / रंगीन कागज / खाकी कागज पृथक–पृथक दर्शायी जावे।
7. कागज की कतरन तौलने के लिये सफल निविदाकार को शासन द्वारा स्वीकृत तराजू (कांटावाली) व बांट की व्यवस्था स्वयं करना होगा, लीवर वाली तराजू मान्य नहीं होगी।
8. उपरोक्त अभिलेखों / रद्दी कागज की कतरन छोटे–छोटे टुकड़े सफल निविदाकार को स्वयं को व्यय पर करना होगा साथ ही रद्दी की ढुलाई, भराई एवं लदाई का कार्य सफल निविदाकार को व्यय करना होगा।
9. सफल निविदाकार द्वारा रद्दी तुलाई के पश्चात् उसी समय विक्रित रद्दी की राशि जमा कर उठाना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदाकार को छोटी या बड़ी कतरन उठाना अनिवार्य होगा।

10. सफल निविदाकार को सूचना प्राप्त होते ही एक सप्ताह (सात दिवस) के अंदर रद्दी उठाना अनिवार्य होगा।

11. यदि सफल निविदाकार, नियत अवधि में रद्दी उठाने में असमर्थ/असफल रहता है तो पुनः निविदा आमंत्रित नही की जावेगी तथा उसी दर पर अन्य क्रेता को विक्रय की जावेगी।

12. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को होगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर सागर का निर्णय अंतिम होगा।

13. उचित दर प्राप्त न होने की दशा में निविदा अस्वीकृत कर पुनः निविदा बुलाने का अधिकारी कलेक्टर सागर को रहेगा।

14. सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उसकी निविदा रद्द (निरस्त) कर उसके द्वारा जमा प्रतिभूमि राशि को राजसात कर ली जावेगी।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
सागर म0प्र0

पृ.क्रमांक/2563/निर्वाचन/चु0पर्य0/2019 सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसम्पर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर सर्व .... की ओर सूचना पटल में चस्पा हेतु सूचनार्थ।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. डीआईओ, एनआईसी सागर की ओर उक्त निविदा सूचना की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
सागर, म0प्र0